श्री गंगा चरण : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि देश में कॉमन वेल्थ गेम्स की शुरूआत होने जा रही है। उस समय बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पर्यटक यहां आएंगे, लेकिन उसके लिए परिवहन की कोई समुचित व्यवस्था अभी दिखाई नहीं दे रही है। जैसे हम एयरपोर्ट से टैक्सीज़ लेते हैं, रेलवे स्टेशन से टैक्सीज़ लेते हैं, वे टैक्सीज़ बहुत ही घटिया स्तर की हैं। इनके सुधार के लिए पर्यटन मंत्रालय क्या करने जा रहा है? दूसरा, खजुराहो पर्यटन स्थल के लिए अभी एक ही फ्लाइट जाती है, वह रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। क्या आप रेलवे मंत्रालय से सहयोग लेकर वहां के लिए शताब्दी एक्सप्रेस चलाने जा रहे हैं? मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि परिवहन के क्षेत्र में पर्यटन मंत्रालय क्या कर रहा है?

कुमारी शैलजा : सर, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, दिल्ली में और दिल्ली के आसपास चाहे टैक्सियां हैं, चाहे दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, आप जानते हैं कि मैट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, केवल टैक्सियां अपने आप में नहीं, मैट्रो है, टैक्सियां हैं, हमारी बसेज़ हैं विभिन्न राज्यों में, दिल्ली में और आसपास के राज्यों में, सबको अपग्रेड करने की बात चल रही है, इसके लिए मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जो हमारे पर्यटक एक राज्य से दूसरे राज्य में टैक्सियों से जाते हैं, उसके लिए भी हमने सहूलियतें बढ़ाई हैं और आने वाले समय में, जो उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता था एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसको भी हम खत्म करने जा रहे हैं और एक seamless ट्रेवल विभिन्न राज्यों के बीच में हो जाएग, चाहे खजुराहो है या दूसरे हमारे पर्यटक स्थल हैं, वहां तक जाने के लिए भी हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक कॉमन टिकटिंग सिस्टम का भी प्रावधान unveil किया है। साथ में हम अपनी सर्विसेज का भी इम्प्रूव करें, टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनकी सर्विसेज को भी इम्प्रूव करें, क्योंकि हम खुद भी देखते हैं और कंपलेंट भी होती है कि टैक्सी ड्राइवर्स भी इस स्तर के नहीं हैं, तो उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वह भी अच्छे ढंग से कस्टमर्स से पेश आएं। इस तरह से विभिन्न दिशाओं में हम कार्य कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स और उसके बाद भी आने वाले पर्यटकों के लिए चाहे वे देशी हों, विदेशी हों एक लेवल ऑफ सर्विस हमारे देश में होना चाहिए, यह हमारा प्रयास है।

ग्यारहवीं योजना में विकलांग व्यक्तियों के लिए लाभ

*405. **श्री प्रभात झा** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विकलांग लोगों जैसे मूक-बधिर, अपाहिज लोगों आदि के फायदे के लिए पृथक अध्याय रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्याय के आधार पर सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्षा 2008 और 2009 के बजट में मूक-बधिर लोगों के लिए कोई प्रावधान न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार विकलांग और मूक-बधिरों के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में किये गए प्रावधानों को लागू करने के लिए कृत-संकल्प है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब से लागू किया जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) से (ङ) विविरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के खंड 1 अध्याय 6 ("सामाजिक न्याय") के पैरा 6.172 से 6.186 में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की व्यवस्था है।

(ख) उल्लिखित पैराग्राफों में वर्णित प्रमुख बिन्दुओं के संबंध में किए जा रहे उपायों के ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न हैं। (नीचे देखिए।)

(ग) बिना किसी विकलांगतावार असमूहन के विभिन्न विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए बनी विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के लिए बजट प्रावधान किए गए हैं।

(घ) से (ङ) सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों के अनुसार, बजटीय आबंटन के अध्यधीन विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए कटिबद्ध है।

विवरण-I

11वीं पंचवर्षीय योजना (खंड 1) के पैरा 6.172-6.186 में अंतर्विष्ट प्रमुख बिन्दुओं के अनुसरण में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

1. मंत्रालस नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में संयुक्त राष्ट्र विकलांगजन अधिकार अभिसमय (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) के अनुरूप संशोधन करने की कार्रवाई कर रहा है। प्रस्तावित संशोधनों का प्रथम मसौदा केन्द्रीय समन्वय समिति के समक्ष 21.7.2009 को चर्चा के लिए पेश किया था। इस बैठक में प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, संशोधनों का संशोधित मसौदा 4.9.2009 को सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को तथा 23.9.2009 को संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के समक्ष उनकी टिप्पणियां/विचार मांगने के लिए परिचालित कर दिया गया है। इस मसौदे को मंत्रालय की वेबसाइट पर पणधारियों तथा आम जनता से टिप्पणियां मांगते हुए भी डाल दिया गया है।

2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 27 नवम्बर, 2009 को जारी कार्यालय ज्ञापन के जरिए मंत्रालय को विकलांग व्यक्तियों के लिए बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने के लिए निदेश दिया है।

3. शहरी विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को सार्वजनिक भवनों में बाधामुक्त वातावरण बनाने के लिए मॉडल भवन उप नियम अपने-अपने नगरपालिका भवन उप नियमों में समावेशन के लिए परिचालित कर दिए हैं। 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उन्होंने इस संबंध में कदम उठाए हैं।

   पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में, केन्द्रीय सहायता 15 राज्य सरकारों तथा 9 विश्वविद्यालयों के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, उनके चुनिंदा भवनों को बाधामुक्त वातावरण बनाने के लिए प्रदान की गई है।

   सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने फैसला किया है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सभी भवनों को निम्नलिखित समय-सीमा के भीतर बाधामुक्त बनाया जाए:-

   (i) नवरत्न सीपीएसईएस - 2009-10

   (ii) मिनिरत्न सीपीएसईएस - 2010-11

   (iii) सभी अन्य सीपीएसईएस - 2011-12

   सरकारी वेबसाइटों तथा नि:शक्तजनों की पहुंच के लिए दिशा-निर्देश (जनवरी, 2009) जारी किए गए हैं।

4. अभी तक 199 जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) की स्वीकृति दी गई है। 173 डीडीआरसीज को प्रचालित किया गया है। शेष 26 केन्द्रों में से 5 डीडीआरसी प्रचालित करने के लिए 2009-10 में निधियां जारी की गई हैं। डीडीआरसी की स्कीम संशोधित की जा रही है। संशोधन के पश्चात् सुविधा रहित जिलों में डीडीआरसी मंजूर किए जाएंगे। इनकी संख्या बजटीय आबंटन पर निर्भर करेगी।

5. एडिप स्कीम की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की गई है।

6. अन्य बातों के साथ-साथ नि-शक्तता प्रमाणपत्र जारी करने की क्रियाविधि को सरल बनाने के लिए नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 को संशोधन किया जा रहा है।

7. नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने की योजना 01.04.2008 से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार 01.04.2008 को अथवा इसके पश्चात् निजी क्षेत्र में रोजगार पाने वाले 25000/- रुपये तक की मासिक आय वाले नि:शक्त व्यक्तियों के लिए 3 वर्षों तक कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा के लिए नियोक्ताओं का अंशदान प्रदान करती है।

8. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत 7.5 लाख प्रारम्भिक स्कूलों के भवन अवरोध मुक्त बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नि:शक्त बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ऐसे बच्चों को प्रतिवर्ष प्रति बच्चा 1200/- रुपए की दर पर अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराया जाता है। अप्रैल, 2009 से नि:शक्त बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की एक नई स्कीम (आईईडीएसएस) कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम IX-XII तक के बच्चों को कवर करती है और इसका उद्देश्य एक समावेशी वातावरण में सभी नि:शक्त छात्रों को माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्थ बनाना है।

9. राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) नि:शक्तजनों को स्वरोजगार के लिए आय सृजक कार्यकलापों हेतु रियायती दरों पर ऋण मुहैया कराती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान निगम द्वारा 11580 नि:शक्तजनों को रियायती दरों पर ऋण मुहैया कराए गए हैं।

Benefits for the handicapped in eleventh plan

†*405. SHRI PRABHAT JHA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a separate chapter for the benefit of the handicapped like the deaf and dumb, physically challenged persons, etc. has been incorporated in Eleventh Five Year Plan;

(b) if so, the details of the measures being taken by Government on the basis of this chapter;

(c) the reasons for not making any provision for the deaf and dumb in the Budget for 2008 and 2009;

(d) whether Government is well-determined to enforce those provisions made in Eleventh Five Year Plan for the handicapped and the deaf and dumb; and

(e) if so, by when it would be enforced and the details thereof?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI MUKUL WASNIK): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Paras 6.172 to 6.186 of Chapter 6("Social Justice") of Volume I of the Eleventh Five Year document deal with Empowerment of Persons with Disabilities.

†Orignial notice of the question was received in Hindi.

(b) Details of the measures being taken with regard to the major points mentioned in the above paras are enclosed as statement-I (see below).

(c) Budget provision is made for various Schemes and Programmes meant for persons with various disabilities, without any disability-wise disaggregation.

(d) and (e) The government is committed to take necessary steps for empowerment of Persons with Disabilities as per the previsions of the Eleventh Five Year Plan, subject to budgetary allocation.

Measures being taken pursuant to the major points contained in paras 6.172 - 6.186 of the XI Five Year Plan (Vol I) are as follows:

Statement

1. The Ministry is in the process of amending Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and full Participation) Act, 1995 in line with the U.N. Convention on the Rights of Persons with Disability (UNCRPD). First Draft of the proposed amendments was placed before Central Co-ordination Committee on 21.07.2009 for discussion. Based on the comments received in this meeting, a revised draft of the amendments has been circulated to all the State Governments/UT Administration on 04.09.2009 and concerned Central Ministries/Departments on 23.09.2009 seeking their comments/views. The draft has also been posted on the website of the Ministry inviting comments from stakeholders and general public.

2. DOPT has issued OM, dated 27th November, 2009 directing ministries to conduct special recruitment drive to fill up backlog reserve vacancies for persons with disabilities.

3. Ministry of Urban Development has circulated Model Building Bye-Laws for barrier-free built environment in public buildings to all States for incorporation in their Municipal Building Bye-Laws. 22 States/UTs have informed that they have taken steps in this regard.

   In the previous three financial years, central assistance has been provided, inter-alia, to 15 State Governments and 9 Universities to make the built environment of their selected buildings barrier-free.

   The Department of public enterprises has decided that all building of the Central Public Sector Enterprises be made barrier free within following time limit:

(i) Navratna CPSEs - 2009-10

(ii) Miniratna CPSEs - 2010-11

(iii) All other CPSEs - 2011-12

Guidelines for Government Websites (January 2009) have been issued to make them accessible to persons with disabilities.

4. 199 DDRCs have been sanctioned so far. Of these 173 DDRCs are made operational. Of the remaining 26 centres, funds have been released to 5 DDRCs in 2009-10 to operationalize them. The Scheme of the DDRCs is under revision. After revision, more DDRCs will be sanctioned in unserved Districts. Their numbers will depend on budgetary allocation.

5. A Committee has been constituted to review the ADIP Scheme.

6. Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation), Rules 1996 are being amended to inter-alia simplify the procedure of issue of disability certificate.

7. A Scheme of INCENTIVES TO EMPLOYERS IN THE PRIVATE SECTOR FOR PROVIDING EMPLOYMENT TO THE PERSONS WITH DISABILITIES has been launched, w.e.f. 01.04.2008. Under this Scheme, the Government of India provides the employer's contribution for Employees Provident Fund (EPF) and Employees State Insurance (ESI) for 3 years, for disabled persons employed in the private sector on or after 01.04.2008, with a monthly salary upto Rs. 25,000.

8. Under Sarv Shiksha Abhiyan (SSA), buildings of about 7.5 lakhs elementary schools have been made barrier free. Besides, additional grant @ Rs. 1200/- per child with disability per year is provided under Sarv Shiksha Abhiyan, to meet the special needs of such children.

A new Scheme of inclusive Education for Disabled at Secondary Stage (IEDSS) is being implemented from April 2009. It covers disabled children in Class IX-XII and aims to enable all students with disabilities, to pursue secondary schooling in an inclusive environment.

9. The National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) provides concessional credit to Persons with Disabilities (PWDs) for setting up income generating activities for self-employment. 11580 Persons with Disabilities have been provided loans at concessional rates by the Corporation during the first two years of the Eleventh Five Year Plan.

श्री प्रभात झा : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश में विकलांगों की संख्या के बारे में इनकी ही दो एजेंसीज दो अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत करती हंै। नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन के अनुसार भारत में विकलांग लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 1.8 प्रतिशत है, जबकि 2001 के अनुसार देश में विकलांग लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 2.13 प्रतिशत है। अब समस्या यह है कि सरकार के ही अपने दो अलग-अलग संगठन अलग-अलग आंकड़े दे रहे हैं। क्या सरकार विकलांगों के बारे में कोई सही आंकड़ा दे सकती है? अगर नहीं दे सकती है तो कोई अन्य एजेंसी के माध्यम से सही आंकड़े देश के सामने आएं, तो कोई उपाय कर सकती है?

SHRI MUKUL WASNIK: Sir, the hon. Member has rightly pointed out that according to the Census, there is one information while the NSSO has given a different type ot information. A Steering Committee of the NSSO has been set up; and a Group of Officers under the Chairmanship of the DDG of my Ministry has been formed to go into the issue as well as to find out a survey method as per the international classification of functioning;, disability and health framework, so that this discrepancy which the hon. Member has pointed out can be addressed.

श्री प्रभात झा : महोदय, हालांकि मेरे पहले प्रश्न का आपने सीधा जवाब नहीं दिया है, मेरा दूसरा प्रश्न है कि दिसम्बर, 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकार किया गया एवं आगे लागू किया गया, परन्तु बाद के दो वार्षिक बजट 2008-09 और 2009-10 में इसकी चर्चा तक नहीं की गई। इससे क्या साबित होता है कि सरकार देश

के विकलांग लोगों के साथ धोखा नहीं कर रही है? क्या सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों को लागू भी करेगी या फिर घोषणाएं कागज पर ही करती रहेगी? सरकार लागू करना चाहती है तो कब करेगी, क्योंकि इस योजना की आधी अवधि समाप्त हो चुकी है?

श्री मुकुल वासनिक : चेयरमैन सर, जहां तक 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांग जनों से संबंधित जो बात कही गई है, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि जो जवाब मैंने प्रमुख प्रश्न के साथ में दिया है, उसमें सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, कहां तक हम कामयाब हो सके हैं, इस संदर्भ में पूरी जानकारी सामने रखी है। दूसरे विषयों से संबंधित अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो वह भी जानकारी मैं उपलब्ध कराना चाहूंगा। हालांकि कई सारी बातें कही गई हैं, लेकिन एक ही मिसाल मैं यहां पर देना चाहंूगा। जहां तक स्कूलों में बेरियर फ्री एनवायरमेंट क्रिएट करने के संदर्भ में जो कदम सरकार ने उठाए हैं, उसके जरिए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से अगर 12 लाख 53 हजार 736 स्कूल खुले हैं, तो उसके तहत 7 लाख 51 हजार 450 यानी 60 प्रतिशत स्कूलों में आज बेरियर फ्री एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए कदम उठाए हैं। इसी तरह से रेलवे मंत्रालय, Ministry of Urban Development, Ministry of Civil Aviation, Ministry of Human Resource Development including the Ministry of Information and Broadcasting, the Ministry of Heavy Industries have initiated steps for the things which they are supposed to do. Sir, the hon. Member has expressed an opinion that the Government is not seriously addressing the concerns of the disabled persons. I think, he will have to reconsider his opinion.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब के पार्ट सी में कहा है, "Budget provision is made for various Schemes and Programmes meant for persons with various disabilities, without any disability-wise disaggregation." मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि स्कूल में जो blind हैं उनके लिए अलग सिलेबस है, जो dumb and deaf हैं, उनके लिए अलग से सिलेबस है और बाकी जो हैंडिकेप्ड हैं, उनके लिए अलग है। जब उनको नौकरियां देनी हैं, तो इस बात पर क्यों नहीं विचार किया जाता है, क्यों नहीं उसके लिए अलग से बजट रखा जाता है, जैसे blind को नौकरी देनी है, तो उसके मुताबिक हो और जो dumb and deaf हैं, उनके मुताबिक हो, ऐसा प्रॉविजन क्यों नहीं रखा जाता है? मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उन्हीं की डिसेबिलिटी के मुताबिक उनको अलग से सर्विसेज, जॉब देने का प्रयत्न करेगी, यह मैं जानना चाहती हूं?

SHRI MUKUL WASNIK: Sir, the reply as provided to part (c) of the Question is regarding the Budget provision. But, there are various other mechanisms to provide opportunities to the persons with disability. A specific mention has been made about the persons with disabilities and their employment opportunities. I would like to mention here that just a couple of weeks back, exactly on 27th November this year, the Department of Personnel and Trarning has issued directions to conduct a special recruitment drive for filling up the backlog in respect of persons with disabilities. There is a mention that, out of the three per cent, quota provided for the disabled persons, one per cent will be for blindness or low vision, one per cent for hearing impairment and one per cent for locomoto disability or cerebral palsy.

SHRI MANOHAR JOSHI : Sir, the question pertains to disabled people and it's a very important question. I would like to know from the hon. Minister whether he is aware that so far there was a provision that one person should accompany a disabled person in Railways. Even though such

a provision exists, since this year, giving a pass to the accompanying person to travel with a disabled person has been cancelled. I would like to know. What is the reason for it? Also, is the Minister aware that in a number of places, stalls have been given to disabled people? But, at the end of the year, a commission of ten per cent is charged from the disabled people. Whether any action is expected from the Government on this.

SHRI MUKUL WASNIK: Sir, as far as the first part of the question is concerned that there was a facility for one person to accompany a disabled person in Railways, the hon. Member has informed that this has been withdrawn. I will definitely take up the matter with the hon. Railway Minister and find out reasons behind such an action, if any such an action has been taken. I would try to address this issue.

As far as the issue regarding stalls is concerned, I would like to have more details on this particular matter. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, I was going to raise an issue of six crore people who can't speak. ...*(Interruptions)*... I am just saying that they can't speak and also they can't hear. ...*(Interruptions)*... Sir, I am not asking for an answer. It is just a small intervention. I would like to tell the hon. Minister that 60 years after Independence there are six crore people who are deaf and dumb and who do not have a life. They are handicapped. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN : Please, Is there a question or not? ...*(Interruptions)*... Question Hour is over. ...*(Interruptions)*...

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Criteria for extension of central schemes to States

*406. SHRI P. RAJEEVE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the existing criteria prescribed for extending Central schemes to States act as a hurdle for development of advanced States;

(b) whether Government had taken into consideration the objective realities persisting in different States while articulating the guidelines under the different schemes; and

(c) if not, whether Government would change the existing criteria?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI V. NARAYANASAMY): (a) to (c) Allocations for Plan Schemes are made by the Planning Commission to Union Ministries. These allocations include both central schemes and Centrally Sponsored Schemes. The allocation of funds under these schemes to individual States is finalized by the administrative Ministry. The financing pattern varies from scheme to scheme depending upon the objectives sought to be achieved and the situation on the ground.